कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

पत्रांक 1819/2–6 दिनांक, गोरखपुर, जनवरी, 13 /2023

Office Phone/Fax No. 0551-2333558 E Mail id. ccfgorakhpurmandal@gmail.com

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
देवरिया।

विषय : जनपद–देवरिया से सोनौली–बलिया मार्ग (एस0एच0–1) के कि0मी0 153–154 के मध्य ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तहसील–सदर जनपद–देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक–884/2–6, दिनांक– 06.10.2022 तथा आपका पत्रांक–1629/2–6, दिनांक–10.01.2023

महोदय,

विषयांकित पेट्रोल पम्प के लगभग 4 वर्ष तक बिना भारत सरकार के अनुमति के संचालन के सम्बन्ध में आप द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्राचार की प्रकिया 4 वर्षो से लंबित है पेट्रोल पम्प के अवैध संचालन में कोई कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी नहीं है जो औचित्यपूर्ण नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत बिना भारत सरकार के अनुमति के गैर वानिकी कार्य नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि रूद्रपुर एवं भटनी रेंज में 3 पेट्रोल पम्पों पर एच–2 केश जारी किया गया है जो स्वीकृति की प्रकिया में है। इसी प्रकार सलेमपुर रेंज में 2 पेट्रोल पम्प ऑनलाइन प्रकिया के अन्तर्गत चल रहा है। ऑनलाइन प्रकिया के अन्तर्गत पेट्रोल किसकी अनुमति से संचालित हो रहा है।

अतः आपके प्रभाग के अन्तर्गत जो भी पेट्रोल पम्प बिना भारत सरकार के अनुमति/ऑनलाइन प्रकिया के अन्तर्गत चल रहे है। उसकी सम्पूर्ण पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा यह भी अवगत कराये कि उक्त पेट्रोल पम्पों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय,देवरिया को क्या रिपोर्ट प्रेषित कि गयी है। जिससे तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

D:\Letter 2018-19.doc